सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 66/18 **निर्णय दिनांकः 23.07.2018**

1. सम्पतलाल पुत्र रामेश्वर जाति ब्राहमण निवासी तेजरासर तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार पूगल।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 30—12—1998
सहायक उपनिवेशन आयुक्त छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 30—12—1998 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र पैण्डिग रखने के उपरान्त भी आवंटन नहीं किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर विशेष आवंटन में आवंटन हेतु उपनिवेशन तहसील पूगल के चक 18 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 34/5 में 22 बीघा अनकमाण्ड भूमि के विशेष आवंटन में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अदालत मातहत द्वारा उक्त भूमि का आवंटन अहमद खॉ पुत्र बस्के खॉ को आवंटन कर दिया गया। व अपीलांट का प्रार्थना पत्र

द्वितीय वरियता में आने के कारण पेंडिग रखा गया व उक्त प्रार्थना पत्र पर आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष बार—बार उपस्थित होकर आवंटन हेतु इस्तदुआ की जाती रही, परन्तु अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र आज दिनांक तक कोई कार्यवाह नहीं की गई। जिससे व्यथित होकर अपीलांट को उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करनी पड़ी।

उन्होनें आगे बताया कि यदि वादगत् भूमि का आवंटन अन्य किसी व्यक्ति को किया जा चुका है व अपीलांट की द्वितीय वरियता बनती है व उसे आवंटन नहीं किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाना चाहिए था। परन्तु अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र विचाराधीन रख दिया गया व तदुपरान्त आज दिनांक तक उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की है। चूंकि वादगत् भूमि अन्य को आवंटित हो चुकी है ऐसी स्थिति में अपीलांट अन्य किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता हैं ऐसी स्थिति में अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार अन्य भूमि आवंटित करनी चाहिए। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट को उसकी पात्रता की सीमा तक अन्य भूमि आवंटन करने के आदेश प्रदान किये जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30—12—1998 के विरूद्व अपील 22—01—2018 को पेश की है। जो करीब 19 वर्ष विलम्ब से पेश है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद

कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज नहीं किया गया है, वरन् अपीलाधीन आदेश में यह अंकित किया गया है यदि प्रथम वरियता के आवेदक द्वारा 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं होती है तो प्रार्थी के आवेदन पत्र भूमि आवंटन की कार्यवाही होगी तक तक पत्रावली विचाराधीन रखी जावे। ऐसी स्थिति में जब अपीलांट का प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष ही वर्तमान में पैण्डिग है लिहाजा अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 30—12—1998 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील दिनांक 22—01—2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काऊन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने विशेष आवंटन के तहत चक 18 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 34/5 में 22 बीघा अनकमाण्ड भूमि के विशेष आवंटन के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अदालत मातहत द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की राय से वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों की जॉच के उपरान्त अन्य आवेदक अहमद खॉ पुत्र बस्के खॉ की प्रथम वरियता होने के कारण उक्त भूमि का आवंटन अहमद खॉ पुत्र बस्के खॉ को किया गया।

(3) अदालत मातहत द्वारा उक्त आदेश में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि प्रार्थी का आवेदन पत्र भूमि आवंटन हेतु द्वितीय वरियता में धोषित किया जा चुका है। यदि प्रथम वरियता क

आवेदक द्वारा 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं होती है तो प्रार्थी के आवेदन पत्र पर भूमि आवंटन की कार्यवाही होगी तब तक अपीलांट के आवंटन की पत्रावली विचाराधीन रखी जावे।

(4) प्रकरण में जब वादगत् भूमि का आवंटन बतौर विशेष आवंटन अन्य आवेदक को किया गया चुका है। यदि अन्य आवेदक जिसे की वादगत् भूमि का आवंटन किया गया है, के द्वारा 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई जाती है तो स्वमेव उक्त भूमि का आवंटन अपीलांट को किये जाने कथन अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश में किया गया है। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् मूल आवंटी द्वारा 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई गई है अथवा नहीं? विशेष आवंटन नियमों में अन्य भूमि आवंटन का प्रावधान निहित नहीं है।

(5) प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज नहीं किया गया है वरन् अन्य आवेदक द्वारा 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने की स्थिति में प्रार्थी के आवेदन पत्र पर भूमि आवंटन की कार्यवाही होगी तब तक पत्रावली विचाराधीन रखी जावे। चूंकि अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष विचाराधीन है ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 30—12—1998 यथावत बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 23.07.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर